भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

10.07.2019 के

तारांकित प्रश्न सं. 241 का उत्तर

रेल कर्मचारी

***241. श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः**
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रेल में विगत वर्षों में कर्मचारियों की संख्या कम हुई है और अपेक्षित संख्या में कर्मचारी न होने के परिणामस्वरूप अच्छी सेवाओं की आशा नहीं की जा सकती, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) रेलवे में समूह क, ख, ग तथा घ के रिक्त पदों की श्रेणी एवं जोन-वार संख्या कितनी है;

(ग) रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया कब तक पूरी किये जाने की संभावना है तथा रेलवे द्वारा अपने प्रचालनों का कुशल प्रबन्धन करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान रेलवे के सेवानिवृत्त हुए तथा नये भर्ती किये गये कर्मचारियों की संख्या कितनी है और विगत दशक में रोज़गार के कितने अवसर सृजित किये गये और विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को न भरे जाने का क्या कारण है; और

(ङ) क्या बुंदेलखंड जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों से कर्मचारियों की सेवाएं लिये जाने की कोई विशिष्ट योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

रेल कर्मचारियों के संबंध में दिनांक 10.07.2019 को लोक सभा में श्री गिरीश बालचन्द्र बापट और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे के तारांकित प्रश्न सं. 241 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): परिणाम और सेवा गुणवत्ता न केवल कार्यबल पर निर्भर करती है बल्कि काफी हद तक प्रौद्योगिकी के उपयोग और प्रणालियों के स्वचालन पर भी निर्भर करती है। इसलिए सेवा गुणवत्ता को कर्मचारियों की संख्या से जोड़ना सही नहीं है। कर्मचारियों का सेवानिवृत्त होना सतत प्रक्रिया है। इससे निरंतर रिक्तियां होती रहती हैं। ये पद पदोन्नति और नई भर्ती के जरिए भरे जाते हैं, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए इस वजह से किसी भी समय कुछ पद तो रिक्त होते ही हैं। इसके अलावा, संवर्ग संख्या लीव रिज़र्व, ट्रेनी रिज़र्व आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। 1991 में कर्मचारियों की संख्या 16,54,985 थी और 2019 में कर्मचारियों की संख्या 12,48,101 है। बहरहाल, इससे रेलवे की सेवा प्रभावित नहीं हुई है। रेलवे की आवश्यकता के आधार पर, रेल भर्ती बोर्डों (आरआरबी) और रेल भर्ती सैलों (आरआरसी) के जरिए रिक्त पदों को जरूरत के आधार पर आवधिक रूप से भरा जाता है।

(ख): रेलवे में ग्रुप ए, बी, सी और पूर्ववर्ती ग्रुप डी के रिक्त पदों का कोटि-वार और ज़ोन-वार ब्यौरा परिशिष्ट-I के रूप में संलग्न है।

(ग): 2018 में 77,858 ग्रुप सी और 63,202 ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके अलावा 10,783 रेल सुरक्षा बल कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। अब यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अगस्त 2019 में इसके पूरा होने की संभावना है। 2019 में 38,808 ग्रुप सी और 1,03,769 ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती का अगला चक्र शुरू किया गया है। इसमें अन्य सांविधिक आरक्षण कोटा के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत कोटा शामिल है। रिक्त पदों की संख्या के हिसाब से यह अब तक का सबसे बड़ा भर्ती चक्र है। रिक्त पदों को भरने से संबंधित विस्तृत स्थिति परिशिष्ट-II के रूप में संलग्न है। चूंकि स्वीकृत संवर्ग संख्या में छुट्टी और ट्रेनी रिज़र्व का एलीमेंट शामिल है, इसलिए कार्य परिचालन संतोषजनक ढंग से संचालित किया जा रहा है।

(घ): पिछले तीन वर्षों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और भर्ती किए गए कर्मचारियों का ब्यौरा परिशिष्ट-III के रूप में संलग्न है। रेलवे में पिछले दशक में 1,98,772 (ग्रुप सी) और 2,62,244 (ग्रुप डी) उम्मीदवार भर्ती किए गए हैं। रिक्त पदों को भरना सतत प्रक्रिया है।

(ड.): विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में देशभर में किसी भी आरआरबी/आरआरसी से आवेदन करने वाले सभी क्षेत्रों के उम्मीदवारों को समान अवसर दिया जाता है। भारत सरकार की नवीनतम नीति के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए नीति में घोषणा होने के बाद मांग-पत्र में अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

******

रेल कर्मचारियों के संबंध में दिनांक 10.07.2019 को लोक सभा में श्री गिरीश बालचन्द्र बापट और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे के तारांकित प्रश्न सं.241 के भाग (ख) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट-।

(ख): 01.06.2019 की स्थिति के अनुसार रेलवे में ग्रुप ए, बी, सी और पूर्ववर्ती ग्रुप डी के रिक्त पदों का कोटि-वार और ज़ोन-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	क्षेत्रीय रेलवे	राजपत्रित (ए एवं बी)	अराजपत्रित (सी एवं पूर्ववर्ती डी)
1	मध्य	120	25,103
2	पूर्व	218	23,961
3	उत्तर	148	40,611
4	पूर्वोत्तर	30	14,329
5	पूर्वोत्तर सीमा	169	15,740
6	दक्षिण	139	20,562
7	दक्षिण मध्य	78	18,762
8	दक्षिण पूर्व	143	17,738
9	पश्चिम	147	24,987
10	मेट्रो	19	925
11	पूर्व मध्य	186	18,595
12	पूर्व तट	101	9,582
13	उत्तर मध्य	156	20,505
14	उत्तर पश्चिम	144	17,655
15	दक्षिण पश्चिम	69	7,354
16	पश्चिम मध्य	101	12,524
17	दक्षिण पूर्व मध्य	139	9,641
	कुल	2,107	2,98,574

- **2,94,420 कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।**

******

रेल कर्मचारियों के संबंध में दिनांक 10.07.2019 को लोक सभा में श्री गिरीश बालचन्द्र बापट और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे के तारांकित प्रश्न सं. 241 के भाग (ग) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट-।।

(ग): पदों का रिक्त होना तथा इन्हें भरा जाना सतत प्रक्रिया है और इन्हें परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती एजेंसियों को समय पर मांग-पत्र प्रस्तुत करके भरा जाता है।

(i) राजपत्रित: भर्ती वर्ष 2019 के लिए इंजीनियरी सेवा परीक्षा और सिविल सेवा परीक्षा के लिए यूपीएससी को 440 राजपत्रित रिक्त पदों के लिए मांग-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। राजपत्रित पदों के तहत भर्ती यूपीएससी के कैलेंडर के अनुसार की जाती है। पिछले 03 वर्षों में पैनलबद्ध किए गए उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गई है।

(ii) अराजपत्रित: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) नियमित रूप से संबंधित रेलों/उत्पादन इकाइयों को सफल उम्मीदवारों के पैनल मुहैया करा रहे हैं। पिछले 03 वर्षों के दौरान आरआरबी और आरआरसी द्वारा भारतीय रेलों पर ग्रुप सी और पूर्ववर्ती ग्रुप डी पदों के लिए सीधी भर्ती (डीआर) कोटा के अंतर्गत पैनलबद्ध किए गए उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष		पिछले 03 वर्ष			कुल
		2015-16	2016-17	2017-18	
पैनलबद्ध उम्मीदवारों की सं.	ग्रुप ए	297	325	364*	986
	ग्रुप सी	27995	19587	19100	66682
	ग्रुप डी	51808	6731	5632	64171
	कुल	80100	26643	25096	131839

*** नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं।**

(iii) प्रक्रियाधीन कार्रवाई: 2018-19 में 2,94,420 रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई शुरू की गई है। 2019-20 में 1,51,843 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई है और 1,42,577 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए रोजगार अधिसूचना 2019 में जारी की गई है और इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कोटे को ध्यान में रखा गया है।

(क) 2017-18 में अधिसूचित: 1,51,843

(ख) 2019 में अधिसूचित: 1,42,577

****

रेल कर्मचारियों के संबंध में दिनांक 10.07.2019 को लोक सभा में श्री गिरीश बालचन्द्र बापट और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे के तारांकित प्रश्न सं.241 के भाग (घ) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट-III

(घ): पिछले तीन वर्षों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और भर्ती किए गए कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)	सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सं.	भर्ती किए गए कर्मचारियों की सं.
2015-16	53,654	80,100
2016-17	59,053	26,643
2017-18	52,982	25,096
कुल	1,65,689	1,31,839

******